संख्या- 305 /2025/ 2627 /चार-2025-1935831

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर, 2025**

विषय:- पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होल्कर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 29 से 31 मई, 2025 के मध्य वाराणसी, मथुरा, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1610/सं0नि0-15(19)/2025-26-342856, दिनांक 01 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या- 1742/चार-2025 दिनांक 16 जून, 2025 द्वारा पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होल्कर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 29 से 31 मई, 2025 के मध्य वाराणसी, मथुरा, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त के क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों की मानदेय धनराशि शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 में निहित व्यवस्थानुसार कलाकारों के मानदेय का 50 प्रतिशत अग्रिम का भुगतान किया जा चुका है मानदेय की शेष धनराशि एवं कलाकारों के यात्रा पर हुए व्यय का भुगतान निम्नानुसार कराये जाने हेतु रू0 6,60,300/- का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है:-

क्र0	कलाकार का नाम	50 प्रतिशत अवशेष मानदेय तथा यात्रा व्यय की धनराशि
1	श्री महिपाल सिंह, मथुरा मो0 9634245038	57,500.00
2	श्री सुनील कुमार, गाजीपुर मो0-9935251758	55,850.00
3	श्री अनुज मिश्रा, लखनऊ मो0- 9005847081	35,000.00
4	सुश्री शीलू श्रीवास्तव, लखनऊ मो0- 7080808236	22,500.00
5	श्री खजान सिंह, मथुरा मो0- 8266932374	64,100.00
6	श्री उमेश कनौजिया, आजमगढ़ मो0- 8052188624	46,000.00
7	श्री भरत लाल, मथुरा, मो0- 8171788916	20,000.00
8	श्री माधव आचार्य, मथुरा मो0- 9045132092	20,000.00
9	श्री हंसराज, मथुरा मो0- 9997343572	60,800.00
10	श्री विजय यादव, अयोध्या मो0- 9695773733	20,000.00
11	श्री तहेन्दर सिंह, मथुरा मो0-8630199010	64,100.00
12	श्री सुक्खन, सोनभद्र मो0- 8318589553	46,000.00
13	श्री पूरन, मथुरा मो0-7465958810	54,200.00
14	श्री रजनीश राणा, पीलीभीत मो0-6398587218	49,250.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15	श्री रघुवीर सिंह, (राजकीय संग्रहालय, झांसी)	45,000.00
	योग-(रूपये छ: लाख साठ हजार तीन सौ मात्र)	**6,60,300.00**

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होल्कर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर दिनांक 29 से 31 मई, 2025 के मध्य वाराणसी, मथुरा, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु 6,60,300/- **(रूपये छ: लाख साठ हजार तीन सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।